वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		550.00	123.43	673.43	547.00	151.00	698.00	945.00	186.00	1131.00
पूंजी		*50.00*	*...*	*50.00*	*50.00*	*...*	*50.00*	*55.00*	*...*	*55.00*
जोड़		**600.00**	**123.43**	**723.43**	**597.00**	**151.00**	**748.00**	**1000.00**	**186.00**	**1186.00**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	26.68	26.68	...	32.70	32.70	...	38.50	38.50
उद्योग										
2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	2852	...	1.80	1.80	...	5.77	5.77	...	11.00	11.00
3. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान	2852	...	0.25	0.25	...	1.14	1.14	...	1.79	1.79
4. एशियाई उत्पादकता संगठन	2852	...	4.50	4.50	...	4.00	4.00	...	6.00	6.00
5. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	3475	...	0.45	0.45	...	0.40	0.40	...	0.45	0.45
6. स्वायत्तशासी संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	2852	50.00	...	50.00	45.00	...	45.00	100.00	...	100.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
7. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन	2070	3.00	17.09	20.09	3.00	19.54	22.54	3.00	23.49	26.49
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
8. पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक	3475	...	25.51	25.51	...	30.30	30.30	...	35.00	35.00
9. भौगोलिक संकेतन रजिस्ट्री	3475	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	1.00	1.00
10. बौद्धिक सम्पदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	3475	40.00	...	40.00	32.85	...	32.85	25.00	...	25.00
11. राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पत्ति प्रबन्धन संस्थान	3475	...	0.20	0.20	7.15	0.20	7.35	...	0.50	0.50
	4059	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
	जोड़	*...*	*0.20*	*0.20*	*7.15*	*0.20*	*7.35*	*5.00*	*0.50*	*5.50*
12. आर्थिक सलाहकार	3475	2.00	3.81	5.81	2.00	3.60	5.60	2.00	4.11	6.11
13. बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी)	3475	...	1.84	1.84	...	1.97	1.97	...	2.30	2.30
जोड़ - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**42.00**	**31.96**	**73.96**	**42.00**	**36.67**	**78.67**	**32.00**	**42.91**	**74.91**
14. टैरिफ आयोग	2852	...	4.65	4.65	...	5.15	5.15	...	6.00	6.00
15. नमक आयुक्त	2852	5.00	16.70	21.70	1.30	20.42	21.72	...	23.00	23.00
16. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	2852	...	1.50	1.50	...	6.00	6.00	...	8.00	8.00
17. औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण										
17.01 लुगदी एवं कागज उद्योग विकास परिषद्	2852	...	2.50	2.50	...	3.34	3.34	...	5.50	5.50
17.02 कागज क्षेत्र के लिए तकनीकी उन्नयन निधि योजना	2852	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	*...*	*2.50*	*2.50*	*...*	*3.34*	*3.34*	*1.00*	*5.50*	*6.50*
18. सीमेंट उद्योग विकास परिषद्	2852	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50
19. भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम	2852	100.00	...	100.00	110.00	...	110.00	100.00	...	100.00
20. अन्य योजनाएं	2852	...	0.02	0.02	...	...	...	...	0.02	0.02
21. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	2852	...	8.07	8.07	...	8.07	8.07	...	8.08	8.08
उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय										
22. पिछड़े क्षेत्रों का विकास										
22.01 औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी	2885	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	201.00	...	201.00

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
22.02 विकास केन्द्र	2885	5.00	...	5.00	16.00	...	16.00	...	...	...
22.03 एकीकृत ढांचागत विकास योजना	2885	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
22.04 जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों का पैकेज	2885	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00	45.00	...	45.00
22.05 निवेश संबंधी सब्सिडी	2885	...	...	...	0.45	...	0.45	...	...	...
22.06 पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज (पूर्वनाम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज)	2885	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय		**56.01**	**...**	**56.01**	**77.46**	**...**	**77.46**	**249.01**	**...**	**249.01**
23. औद्योगिक आधारढांचा उन्नयन स्कीम	2852	180.00	...	180.00	155.55	...	155.55	150.00	...	150.00
24. राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद	2852	...	...	...	...	1.50	1.50	...	3.50	3.50
25. भारतीय रबर विनिर्माण अनुसंधान संघ	2852	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04
26. बॉयलर सर्वेक्षण	2852	...	0.10	0.10	...	0.09	0.09	...	0.12	0.12
27. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद	2852	...	3.62	3.62	5.00	2.67	7.67	5.00	4.10	9.10
28. निवेश प्रोत्साहन योजना	2852	14.00	...	14.00	7.70	...	7.70	15.00	...	15.00
29. *सरकारी उद्यमों में निवेश*										
29.01 दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम	4875	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
30. *पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान*										
30.01 पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज (पूर्वनाम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज)	2552	99.99	...	99.99	99.99	...	99.99	294.99	...	294.99
कुल जोड़		***600.00***	***123.43***	***723.43***	***597.00***	***151.00***	***748.00***	***1000.00***	***186.00***	***1186.00***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम	12875	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
ग. आयोजना परिव्यय										
1. अन्य उद्योग	12875	402.00	...	402.00	377.55	...	377.55	424.00	...	424.00
2. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	56.01	...	56.01	77.46	...	77.46	249.01	...	249.01
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	42.00	...	42.00	42.00	...	42.00	32.00	...	32.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	99.99	...	99.99	99.99	...	99.99	294.99	...	294.99
जोड़		**600.00**	**...**	**600.00**	**597.00**	**...**	**597.00**	**1000.00**	**...**	**1000.00**

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं**: इसमें औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदः** इसमें इस संगठन, जिसकी स्थापना उत्पादकता के प्रति जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, उत्पादकता सर्वेक्षण, व्यावहारिक अनुसंधान आदि के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादकता सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी, के लिए अनुदानों की व्यवस्था की गई है।

3. **राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानः** इसकी स्थापना उद्योग में डिजाइन के प्रति चेतना पैदा करने और सरेमिक डिजाइन, उत्पाद डिजाइन, वेशभूषा डिजाइन, और दृश्य संचार जैसे औद्योगिक डिजाइनों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवा प्रदान कराने के लिए की गई है।

4. **एशियाई उत्पादकता संगठनः** इसमें एशियाई उत्पादकता संगठन में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान के लिए व्यवस्था की गई है।

5. **विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनः** इसमें डब्ल्यू.आई.पी.ओ. में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान की व्यवस्था की गई है।

6. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायताः** इसमें स्वायत्तशासी संस्थाओं यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय डिजायन संस्थान, केन्द्रीय लुग्दी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद, केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माण अनुसंधान एसोसिएशन, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धी परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को परियोजना आधारित सहायता देने का प्रावधान है।

अन्य प्रशासनिक सेवाएंः

7. **पैट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठनः** इसमें संगठन के स्थापना व्यय की व्यवस्था की गई है जो भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम 1934, तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का प्रशासन करता है। यह संस्था सभी प्राधिकरणों को इन अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर परामर्श देती है और पुलिस, हवाई अड्डा सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, आदि को विस्फोटकों का पता लगाने के विषय में गहन प्रशिक्षण देती है। यह संगठन विस्फोटकों के विनिर्माण, परिष्करण, प्रसंस्करण, प्रबंध, भण्डारण, गुणवत्ता विनिर्देशों से संबंधित मानक तैयार करने और संशोधित करने में भारतीय मानक ब्यूरो और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय इत्यादि के साथ समन्वय करता है।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएंः

8 और 9. **पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महा-नियंत्रक (सीजीपीडीटीएम); भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रीः** यह कार्यालय औद्योगिक संपत्ति अधिकार से संबंधित कानून नामतः पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 (पंजीकरण और सुरक्षा) आदि को प्रशासित करता है।

10. **बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरणः** पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक की सभी स्कीमों को एक समिश्र स्कीम, जिसके अंतर्गत पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, डिजाइन कार्यालय और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री शामिल है, के रूप में विलय कर दिया गया है।

11. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थानः** इसमें बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शिक्षा अनुसंधान की व्यवस्था की गई है।

12. **आर्थिक सलाहकारः** यह कार्यालय (i) आर्थिक नीतियों के सभी मामलों पर सलाह प्रदान करता है, (ii) औद्योगिक उत्पादन और क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियों का परीक्षण करता है, औद्योगिक और आयात नीतियों के निर्माण में सहायता करता है, (iii) औद्योगिक क्षेत्र और विशिष्ट उद्योगों के संदर्भ में ऋण नीति, ऋण आयोजन और इसकी उपलब्धता से संबंधित मामलों का परीक्षण करता है, (iv) उद्योग के लिए वित्तीय प्रस्तावों और शुल्क/उगाहियों का विश्लेषण करता है, (v) औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान कार्यो का समन्वय करता है (vi) भारत में थोक मूल्यों के सूचकांकों का संकलन और विश्लेषण करता है।

13. **बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.)ः** इसकी स्थापना रजिस्ट्रार, ट्रेड मार्क भौगोलिक संकेतक के निर्णय के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए की गई है। आई.पी.ए.बी. उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों का स्थान लेता है। बजट व्यवस्था वेतन तथा बोर्ड के स्थापना संबंधी अन्य खर्चो को पूरा करने के लिए है।

14. **टैरिफ आयोगः** यह भारत सरकार द्वारा 2 सितम्बर, 1997 से स्थापित आयोग की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। बाद में पहले के बी.आई.सी.पी. को टैरिफ आयोग में मिलाकर आयोग को मजबूत बनाया गया है।

15. **नमक आयुक्तः** यह संगठन केंद्रीय नमक उपकर अधिनियम 1953 और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों का प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी है। यह नमक और आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन तथा युक्ति संगत वितरण को भी विनियमित करता है। यह नियमित रूप से नमक की उपलब्धता और मूल्य को भी मानीटर करता है। बजट में संगठन के स्थापना प्रभारों और विकास कार्यों के संबंध में व्यवस्था की गई है।

16. **केद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थानः** केद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलूर नए डिजाइन और नियंत्रण प्रणालियों के विकास द्वारा इंजीनियरी उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले धातुकर्म उद्योग के विनिर्माण प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। यह विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों जैसे परमाणु उर्जा, एअरो-स्पेस और रक्षा के लिए विशेष उपस्करों मशीनों और विशेषीकृत उन्नत परीक्षण प्रणालियों के डिजाइन और विकास के सम्पूर्ण समाधान की व्यवस्था करता है। यह इन क्षेत्रों के लिए महत्त्वपूर्ण प्रति स्थापन उत्पादों के विकास के लिए आवश्यकता पूर्ति करता है। यह संस्थान विनिर्माण की विभिन्न उप-शाखाओं जैसे हाई एंड मशीन औजारों और नियंत्रण प्रणालियों, अत्याधुनिक औजारों और नवीन उपकरणों, त्वरित प्रोटो-टाइप और टूलिंग एवं सूक्ष्म त्रिविमीय, लेसर निसाद के लिए धातु मूल पत्थर मिश्रण, मशीन औजारों के लिए उन्नत परीक्षण और निदान, मशीन औजारों लेसर अशांकन और संरेखण, रोबोटिक व स्वचलन और अन्य वैद्युत चुंबकीय निर्माण में सम्बद्ध अनुसंधान और विकास परियोजनाओं द्वारा अभियांत्रिकी उद्योग में महत्वपूर्ण निवेश की व्यवस्था करता है।

17. **औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षणः**

17.01 ***लुगदी और कागज उद्योग विकास परिषद*** : इसके अन्तर्गत लुगदी और कागज क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान और कागज लुगदी एवं सम्बंद्ध उद्योगों की विकास परिषद को दिए गए अनुदान शामिल हैं।

17.02 **कागज क्षेत्र हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजनाः** इसमें 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

18. **सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषदः** इसमें सीमेंट उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु व्यवस्था की गई है।

19. **भारतीय चर्म विकास कार्यक्रमः** इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैंः चर्म उद्योग के एकीकृत विकास के लिए आधारभूत संरचना में प्रमुख कमियों को दूर करना, उत्पादकता बढ़ाने व मान्यता के लिए उद्योग में देखे गए दोषों को दूर करने की दिशा में राष्ट्रीय एजेंसियों को सक्रिय बनाना, मूल्य वर्धन और रोजगार, चर्म उद्योग के लिए निवेश/व्यापार विकास क्रियाकलाप चलाना और चर्म उद्योग के लिए एक सूचना आधार तैयार करना। यह कार्यक्रम पूंजी सब्सिडी संघटक के ज़रिए इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देता है।

20. **अन्य स्कीमेंः** इसमें अशोक कागज मिल, असम एकक के लिए सहायता का प्रावधान है।

21. **संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठनः** इसमें संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन को अंशदान देने के लिये प्रावधान किया गया है।

उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय

22. **पिछड़े क्षेत्रों का विकास**

22.01 **औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडीः** इसमें पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी देने के लिए प्रावधान है।

22.03 **एकीकृत ढांचागत विकास योजनाः** इस योजना का उद्देश्य जल, सड़क, परिवहन, दूरसंचार, विद्युत अपशिष्ट शोधन और निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन आदि जैसे बुनियादी औद्योगिक ढांचागत सुविधा उपलब्ध कराना है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों तथा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्यों में लागू होगा। इस योजना के तहत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम राज्यों में प्रत्येक में दो औद्योगिक स्थान होंगे तथा अन्य राज्यों में प्रत्येक में एक औद्योगिक स्थान होगा।

22.04 **जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों का पैकेजः** इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड, राज्यों के लिए औद्योगिक नीति में निहित विभिन्न स्कीमों के वित्तपोषण की व्यवस्था है।

22.06 **पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज (पूर्वोत्तर राज्यों हेतु पूर्व पैकेज)ः** इस पैकेज में केन्द्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना, केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना और व्यापक बीमा योजना नामक विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।

23. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीमः** औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम को इसकी अंतर्निहित शक्ति का निर्माण करके तीव्र एवं अनवरत निरन्तर औद्योगिक विकास में सहायता की दृष्टि से तैयार किया गया है।

http://indiabudget.nic.in

24. **राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषदः** इसमें राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद के लिए अनुदानों हेतु प्रावधान किया गया है।

25. **भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघः** इसमें भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ के अनुदानों के लिए प्रावधान किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में टायर अनुसंधान तथा परीक्षण में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना करना शामिल है।

26. **बॉयलर का सर्वेक्षणः** इसमें बॉयलर के सर्वेक्षण के लिए अनुसंधान अध्ययनों हेतु बजट का प्रावधान है।

27. **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषदः** एक शीर्ष निकाय के रूप में इस परिषद का गठन ऐसे विनिर्माण क्षेत्रों के विकास को गति देने और बनाए रखने के लिए जिनमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और जो विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय स्तर के उद्योग/क्षेत्र विशिष्ट नीतिगत उपायों की सिफारिश करे। स्थापना संबंधी व्ययों के अलावा, विभिन्न अध्ययनों, मूल्यांकन रिपोर्टों को तैयार करना और परामर्शदाताओं को नियुक्त करने से जुड़े कार्य करने की भी जरूरत है ताकि विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पार्धात्मकता बढ़ाई जा सके।

28. **निवेश प्रोत्साहन योजनाः** अन्तरराष्ट्रीय निगम तथा संयुक्त उपक्रम, एशिया उद्यम तथा उपक्रम निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों को आपस में मिला दिया गया है और यह प्रावधान मिलायी गयी योजना के लिए है। निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य देश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है।

29.01 **दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगमः** इसकी स्थापना कुल 1,483 किमी लम्बाई की शामिल करते हुए 'दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा' नामक परियोजना के माध्यम से दिल्ली - मुम्बई क्षेत्र के औद्योगिक आधारभूत संरचना के उन्नयन हेतु की गयी है और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र से गुजरेगा।

30. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान**

30.01 **पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज (पूर्वनाम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज):** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभों और परियोजनाओं/स्कीमों के लिए निर्धारित किया जाना है।